

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक १११/५२५/आउशि/सेमे.पद्धति/०८
प्रति,

भोपाल,दिनांक ११/९/०८

- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
२. समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश
- ३.समस्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक,
शा.महाविद्यालय,मध्यप्रदेश

विषय:-सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत प्राचार्य के अतिरिक्त अन्य प्राध्यापकों का प्रशिक्षण ।


-०-

दिनांक ८-९-०८ को संचालनालय के द्वारा आयोजित आकस्मिक निरीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश महाविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण जानकारी प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकगणों को उपलब्ध नहीं है,जिसके कारण सेमेस्टर पद्धति में प्रथम मूल्यांकन में करीब २५ प्रतिशत छात्र ही अनुपस्थित रहे हैं । साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में जानकारी के अभाव में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकगणों को परेशानी आ रही है ।

इस स्थिति को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक १३-९-०८ को प्रातः ११.३० बजे से अपरान्ह ३.३० बजे तक महाविद्यालयों के समस्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों को सेटकाम के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा ।

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके जिले के समस्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक निर्धारित तिथि को ११.०० बजे तक जिले के स्कूल शिक्षा विभाग की सेटकाम सेंटर जो प्रत्येक जिले के डाईट में स्थित है, पर ११.३० बजे तक उन केन्द्रों पर अनिवार्यतः उपस्थित हो जिससे सेमेस्टर पद्धति में होने वाले गलतियों से बचा जा सकें एवं प्रशिक्षण लिया जा सकें ।

संबंधित डाईट एवं अन्य केन्द्र यदि कोई हो पर उपस्थित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के हस्ताक्षरयुक्त उपस्थिति पत्रक स्थाई अभिलेख के रूप में जिले के अग्रणी महाविद्यालय में संधारित किये जायें जिससे बाद में वेरीफिकेशन किया जा सकें ।


(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश